भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3886

दिनांक 11.08.2026 को उत्तरार्थ

विषयः जिला कृषि आकस्मिक सहायता योजना

3886. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटिल

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अल-नीनो की अनुमानित स्थितियों और कमजोर मानसून को देखते हुए, सरकार ने वर्तमान खरीफ सीजन के दौरान, विशेषकर महाराष्ट्र में, होने वाले कृषि उत्पादन (मूल्य) और कृषि आय के संभावित नुकसान का कोई आकलन तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कमजोर मानसून की स्थिति से संभावित रूप से प्रभावित होने वाले जिलों के रूप में सरकार द्वारा चिह्नित किए गए 315 जिलों की सूची का ब्यौरा क्या है और उच्च प्राथमिकता, मध्यस-प्राथमिकता और निम्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में उनके वर्गीकरण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन 315 संवेदनशील जिलों में, विशेषकर महाराष्ट्र में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम-किसान और ऐसी अन्य योजनाओं के कवरेज के संबंध में डेटा संकलित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इन 315 जिलों के लिए जिला कृषि आकस्मिक सहायता योजना (डीएसीपी) को सार्वजनिक क्षेत्र में साझा करेगी और प्रत्येक उपाय के लिए कितना बजटीय आवंटन और क्या समय-सीमा नियत की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): खरीफ 2026-27 सीजन के लिए बुआई का काम अभी भी जारी है और कृषि वर्ष 2026-27 (जुलाई-जून) के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान अभी तक जारी नहीं किए गए हैं।

(ख): आईसीएआर केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-सीआरआईडीए) द्वारा राज्यों के परामर्श से महाराष्ट्र सहित 15 राज्यों के लिए जिला कृषि आकस्मिक योजना (डीएसीपी) को अद्यतन किया गया है, जिसमें 342 जिले शामिल हैं जहां सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना, सिंचाई क्षेत्र और फसल क्षेत्र के आधार पर, 262 जिलों को संवेदनशील जिलों के रूप में चिह्नित किया गया है, ताकि तैयारियों की गहन निगरानी और समीक्षा की जा सके। इन 262 संवेदनशील जिलों की सूची **अनुबंध-1** में दी गई है।

इसके साथ ही, आईसीएआर द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के लिए अल नीनो से संबंधित जोखिमों को कम करने हेतु मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) भी जारी की गई हैं।

(ग) एवं (घ) :कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, आईएमडी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के विभिन्न संस्थानों, आईसीएआर- केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी), खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), उर्वरक विभाग (डीओएफ) और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ समन्वय में मानसून की बदलती स्थिति और अल नीनो की स्थिति के कृषि पर संभावित प्रभाव की लगातार निगरानी कर रहा है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i. फसल मौसम निगरानी समूह (सीडब्ल्यूडब्ल्यूजी) की साप्ताहिक बैठक में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर - सीआरआईडीए), उर्वरक विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस बैठक का उद्देश्य वर्षा की स्थिति, जलाशय भंडारण, भूजल स्तर, फसल की बुआई, इनपुट की उपलब्धता, बाजार की स्थिति और कीट/रोगों के प्रकोप की समीक्षा करना और समय पर हस्तक्षेप करना है। राज्य कृषि सचिवों और राहत आयुक्तों के साथ दिनांक 27.04.2026 को सचिव (डीए एवं एफडब्ल्यू) की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीज, चारा, पेयजल एवं सिंचाई जल, उर्वरक जैसे इनपुट की उपलब्धता और सामान्य तैयारियों की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, मानसून के लिए तैयारियों का आकलन और सुदृढ़ीकरण करने के लिए दिनांक 17.06.2026 को संकट प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित की गई थी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 19 जून, 2026 को अल नीनो की संभावित स्थिति के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली सामान्य से कम वर्षा की स्थिति की तैयारियों की समीक्षा भी की है। भारत सरकार के कृषि मंत्री ने 23 जून, 2026 को अल नीनो की स्थिति को देखते हुए मद्देनजर खरीफ की तैयारियों के लिए राज्य कृषि मंत्रियों के साथ मिलकर स्थिति की समीक्षा की है।
ii. राज्यों की 172.80 लाख क्विंटल की मांग की तुलना में खरीफ फसलों के पर्याप्त मात्रा में 192.25 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध कराए गए हैं। राज्यों ने 1% बीज अर्थात 1.74 लाख क्विंटल राष्ट्रीय बीज भंडार के रूप में आरक्षित रखे हैं।

iii. फसल विविधता को बढ़ावा देने, कम अवधि वाली और सूखा-सहनशील फसलों की किस्मों को बढ़ावा देने, उर्वरकों के संतुलित उपयोग, जल संरक्षण प्रथाओं, सूक्ष्म सिंचाई, मल्चिंग, अंतरफसल खेती और अन्य जलवायु-अनुकूल तकनीकों पर विशेष जोर दिया गया है। अल नीनो की स्थिति के कारण बुआई में देरी और प्रतिकूल प्रभाव की संभावना को देखते हुए, तुअर, सोयाबीन और कपास की बुआई प्रभावित होने की आशंका है। इसलिए किसानों को मक्का, बाजरा, मूंग और अन्य कम अवधि वाली फसलों की बुआई करने की सलाह दी गई है।

iv. दिनांक 1 से 30 जून, 2026 के दौरान राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें 80,67,300 किसानों ने 1,14,567 कार्यक्रमों में भाग लिया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना, कुशल सिंचाई प्रणाली को कार्यान्वित करना और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि पद्धतियों को विकसित करना था। साथ ही, संवेदनशील जिलों में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का व्यापक प्रसार अभियान चलाया जा रहा है।

v. सरकार खरीफ 2016 से उपज आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) कार्यांवित कर रही है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से होने वाले फसल नुकसान के खिलाफ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और कृषि आय को स्थिर करना है। पीएमएफबीवाई व्यापक और स्थानीय जोखिमों से बचाव के लिए बुआई से पूर्व से लेकर कटाई के बाद तक व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करती है। ये योजनाएं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और किसानों के लिए स्वैच्छिक हैं, और इनका कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित जिलों और फसलों के आधार पर किया जाता है। चिन्हित संवेदनशील जिलों में बीमा कवरेज बढ़ाने के लिए जागरूकता और नामांकन अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

vi. **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)** यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे फरवरी 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की आय सहायता तीन समान किस्तों में ₹2,000 की राशि में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रदान करना है। इसकी शुरुआत से अब तक ₹4.46 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और बिचौलियों का उन्मूलन होता है। लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा किया जाता है और लाभ जारी करने से पहले आधार, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और आयकर डेटाबेस के माध्यम से इसकी पुष्टि की जाती है। पीएम-किसान योजना के तहत जारी की गई धनराशि की 23वीं किस्त के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य के जिलों के लिए अब तक जारी किए गए लाभार्थियों और धनराशि की जिलावार संख्या और कुल धनराशि **अनुबंध II** में दी गई है।

vii. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, अधिसूचित आपदाओं के मद्देनजर जमीनी स्तर पर आवश्यक राहत उपाय प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकारें अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के रूप में उपलब्ध निधियों से प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत उपाय करती हैं। एसडीआरएफ के अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में अतिरिक्त वित्तीय सहायता विचाराधीन होती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल होता है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में होती है, न कि हुई या दावा की गई हानियों के मुआवजे के लिए।

गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए विवरण के अनुसार, वर्ष 2026-27 से 2030-31 के दौरान राज्यवार एसडीआरएफ (सोलहवें वित्त आयोग के अंतर्गत) के तहत निधि आवंटन का विवरण **अनुबंध III** में दिया गया है।

viii. केंद्रीय जल आयोग और राज्य सरकारों को जलाशय के पानी के अधिकतम उपयोग के लिए अग्रिम योजना बनाने और कुशल सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) जैसी चल रही योजनाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। ग्रामीण विकास विभाग, विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी जी राम जी) निधि का उपयोग जल संरचनाओं - जैसे कि खेत तालाब, चेक डैम, नहरों की गाद निकालने और बोरी बांधों - के पुनरुद्धार के लिए कर रहा है ताकि प्रारंभिक या अवशिष्ट वर्षा की प्रत्येक बूंद को संचित किया जा सके। इसके अलावा, जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों के हिस्से के रूप में, विभाग विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), तिलहन पर एकीकृत योजना मिशन, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन और देश भर में चल रहे अन्य कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित कर रहा है।

ix. जिला कृषि आकस्मिक योजनाएँ (डीएसीपी) राज्य अधिकारियों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर - सीआरआईडीए) के परामर्श से जिला स्तर पर तैयार की जाती हैं। ये योजनाएँ जिला स्तर पर उपलब्ध होती हैं और इनका रखरखाव केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। आवश्यकतानुसार जिला स्तर पर सुझाए गए उपायों को लागू किया जाता है।

अनुबंध 1

लोकसभा के दिनांक 11.08.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3886 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

262 संवेदनशील जिलों की सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम	जिलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुरमु, कुरनूल, श्री सत्यसाईं	3
2.	असम	चराइदेव, दारंग, धुबरी, गोलपाड़ा, होजाई, जोरहाट, कामरूप ग्रामीण, करीमगंज, नलबाड़ी, शिवसागर, सोनितपुर, पश्चिम कार्बी आंगलोंग	12
3.	बिहार	बेगुसराय, भागलपुर, जमुई, कटिहार, किशनगंज, नालन्दा, नवादा, पटना, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढी	12
4.	छत्तीसगढ	बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कबीरधाम, कोंडागांव, कोरबा, कोरिया, नारायणपुर, राज नंदगांव, सुकमा, सूरजपुर, सरगुजा, उत्तर बस्तर कांकेर	15
5.	गुजरात	अमरेली, अरावली, बनास कांथा, भावनगर, बोटाद, छोटा उदेपुर, दाहोद, डांग, देवभूमि द्वारका, गांधीनगर, गिर सोमनाथ, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, महिसागर, मोरबी, नर्मदा, पंच महल, पोरबंदर, राजकोट, साबर कांथा, तापी, वलसाड	23
6.	हरियाणा	अम्बाला, गुरूग्राम, कुरूक्षेत्र, यमुनानगर	4
7.	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन, ऊना	7
8.	जम्मू और कश्मीर	कुपवाड़ा, राजौरी, रामबन, रियासी, उधमपुर	5

9.	झारखंड	बोकारो, देवघर, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, हज़ारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़	12
10.	कर्नाटक	बल्लारी, बेलगावी, बेंगलुरु ग्रामीण, चिक बल्लापुर, चिक्कमगलुरु, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, धारवाड़, गडग, हसन, हावेरी, कोलार, कोप्पल, रामनगरम, शिवमोग्गा, तुमकुरु, उडुपी, उत्तर कन्नड़, विजयपुरा	19
11.	मध्य प्रदेश	आगर मालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बड़वानी, बैतूल, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, देवास, धार, डिंडोरी, पूर्वी निमाड़, गुना, झाबुआ, कटनी, मंडला, मंदसौर, नरसिम्हापुरा, निवारी, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा, पश्चिम निमाड़	41
12.	महाराष्ट्र	अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बुलढाणा, चंद्रपुर, धुले, गोंदिया, जालना, कोल्हापुर, नंदुरबार, नासिक, पालघर, रत्नागिरी, रायगढ़, सतारा, सिंधुदुर्ग, ठाणे, उस्मानाबाद, वर्धा, यवतमाल	20
13.	मेघालय	वेस्ट गारो हिल्स	1
14.	नागालैंड	दीमापुर, कोहिमा, मोकोकचुंग, मोन, फेक, तुएनसांग, वोखा, जुन्हेबोटो	8
15.	ओडिशा	देवगढ़, क्योंझर (केंदुझार), कोरापुट, मलकानगिरी, मयूरभंज, नबरंगपुर, रायगढ़, सुंदरगढ़	8
16.	पंजाब	कपूरथला, पठानकोट, रूपनगर	3

17.	राजस्थान	अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर	26
18.	तमिलनाडु	अरियालुर, कुड्डलोर, धर्मपुरी, कल्लक्कुरिची, कांचीपुरम, कृष्णागिरी, मदुरै, नमक्कल, पेरम्बलूर, पुदुक्कोट्टई, रानीपेट्टई, सलेम, तिरुचिरापल्ली, तिरुप्पत्तूर, तिरुवल्लुर, तिरुवन्नामलाई, वेल्लोर, विल्लुपुरम, विरुधुनगर	19
19.	त्रिपुरा	उत्तर त्रिपुरा	1
20.	उत्तर प्रदेश	बदायूँ, चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद, झाँसी, खीरी, महोबा, सहारनपुर, सोनभद्र	9
21.	उत्तराखंड	अल्मोडा, चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, टेहरी गढ़वाल, ऊधम सिंह नगर, उत्तरकाशी	8
22.	पश्चिम बंगाल	अलीपुर द्वार, दक्षिण दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, मालदा, पुरुलिया	6
कुल			**262**

अनुबंध II

लोकसभा के दिनांक 11.08.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3886 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.स.	जिला	23वीं किस्त		कुल वितरित राशि (रुपये करोड़ में)
		लाभार्थियों की संख्या	धनराशि जारी करना (रुपये करोड़ में)	
1	अहिल्यानगर	545635	109.47	2,613.08
2	अकोला	187659	37.55	870.63
3	अमरावती	271788	54.43	1,283.90
4	बीड	379441	75.89	1,901.91
5	भंडारा	213100	42.70	896.44
6	बुलढाना	337393	67.53	1,594.57
7	चंद्रपुर	243964	48.86	1,083.98
8	छत्रपति संभाजीनगर	344440	68.92	1,573.38
9	धराशिव	234198	46.87	1,127.46
10	धुले	155951	31.23	772.02
11	गडचिरोली	145237	29.14	643.28
12	गोंडिया	215721	43.29	1,025.84
13	हिंगोली	175200	35.05	837.23
14	जलगांव	392011	78.55	1,927.49
15	जलना	295354	59.10	1,414.75
16	कोल्हापुर	462285	92.79	2,179.03
17	लातूर	268976	53.84	1,311.60
18	नागपुर	175463	35.16	790.04
19	नांदेड़	382042	76.42	1,872.36
20	नंदुरबार	102791	20.59	495.21
21	नासिक	427617	85.69	1,954.63
22	पालघर	100546	20.14	486.11
23	परभनी	250458	50.10	1,213.50
24	पुणे	431603	86.39	1,990.63

क्र.स.	जिला	23वीं किस्त		कुल वितरित राशि (रुपये करोड़ में)
		लाभार्थियों की संख्या	धनराशि जारी करना (रुपये करोड़ में)	
25	रायगढ़	114703	22.96	563.19
26	रत्नागिरि	155705	31.19	772.74
27	सांगली	380579	76.59	1,787.32
28	सतारा	436157	87.43	2,104.07
29	सिंधुदुर्ग	118474	23.73	560.53
30	सोलापुर	494555	98.94	2,397.46
31	थाइन	72599	14.54	397.65
32	वर्धा	129505	25.93	608.93
33	वाशिम	167175	33.45	783.89
34	यवतमाल	289913	58.05	1,363.36
	कुल योग	**9098238**	**1822.51**	43,198.20

अनुबंध- III

लोकसभा के दिनांक 11.08.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3886 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्यवार वार्षिक एसडीआरएफ आवंटन **(रुपये करोड़ में)**

राज्य	**2026-27**	**2027-28**	**2028-29**	**2029-30**	**2030-31**	**कुल**
आंध्र प्रदेश	1,182	1,241	1,303	1,368	1,439	**6,533**
अरुणाचल प्रदेश	99	104	109	114	121	**547**
असम	843	885	929	975	1,028	**4,660**
बिहार	2,628	2,759	2,897	3,042	3,196	**14,522**
छत्तीसगढ	479	503	528	554	582	**2,646**
गोवा	22	23	24	25	25	**119**
गुजरात	1,633	1,715	1,801	1,891	1,982	**9,022**
हरियाणा	564	592	622	653	686	**3,117**
हिमाचल प्रदेश	431	453	476	500	524	**2,384**
झारखंड	542	569	597	627	658	**2,993**
कर्नाटक	1,239	1,301	1,366	1,434	1,507	**6,847**
केरल	374	393	413	434	450	**2,064**
मध्य प्रदेश	2,258	2,371	2,490	2,615	2,743	**12,477**
महाराष्ट्र	5,718	6,004	6,304	6,619	6,952	**31,597**
मणिपुर	42	44	46	48	50	**230**
मेघालय	70	74	78	82	84	**388**
मिजोरम	46	48	50	53	55	**252**
नागालैंड	66	69	72	76	79	**362**
ओडिशा	1,718	1,804	1,894	1,989	2,088	**9,493**
पंजाब	478	502	527	553	582	**2,642**
राजस्थान	1,778	1,867	1,960	2,058	2,162	**9,825**
सिक्किम	73	77	81	85	88	**404**
तमिलनाडु	1,638	1,720	1,806	1,896	1,991	**9,051**
तेलंगाना	536	563	591	621	648	**2,959**
त्रिपुरा	57	60	63	66	70	**316**
उत्तर प्रदेश	2,957	3,105	3,260	3,423	3,597	**16,342**
उत्तराखंड	797	837	879	923	967	**4,403**
पश्चिम बंगाल	1,326	1,392	1,462	1,535	1,611	**7,326**
कुल	**29,594**	**31,075**	**32,628**	**34,259**	**35,965**	**1,63,521**

स्रोत: गृह मंत्रालय
